न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2024 (GCMS 2024/164)
(आरटीआई संख्या 212123488840606)

श्री कृष्ण कुक्कड़, निवासी 1/103 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 93527-49963)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ आज स्वयं उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2024 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में गलत एवं झूठी सूचना उपलब्ध करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार के जरिए चक 15 एमएल के खाता संख्या 212/206 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 7/1 की 0.0535 हैक्टेयर, किला नम्बर 8/1 की 0.1472 कुल 0.2007 कृषि भूमि का गैर कानूनी तौर पर अकृषि कार्य में प्रयोग करने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा राज्य हित में धारा 177 आरटीए एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट संख्या 76/2023 तहसीलदार द्वारा पेश समय पत्र पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा मौका की जांच करके पेश रिपोर्ट की सत्यप्रतियां दी जावे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. दिनांक 27 फरवरी 2024 को संजय कुमार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का सहायक कलक्टर, बीकानेर के पद पर स्थानान्तरण होने के बाद सरकार बनाम सुदेश कुमार अनुवारी राजस्व वाद संख्या 76/2023 में दिनांक 01.03.2004 को राज्य सरकार के खिलाफ पारित निर्णय की सत्य प्रति दी जावे,
3. उक्त राजस्व वाद संख्या 76/2023 में पत्रावली पेशी में लिये जाने राज्य सरकार द्वारा दायर राजस्व वाद खारिज करने बाबत प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र की सत्यप्रतियां दी जावे,
4. उक्त राजस्व वाद संख्या 76/2023 में राज पैरोकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश रिपोर्ट की सत्यप्रति दी जावे,
5. उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 01.03.2024 को राजस्थान सरकार के खिलाफ निर्णित राजस्व वाद संख्या 76/2023 की पालना में प्रतिवादी द्वारा वाद ग्रस्त कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ 90 दिन में संपरिवर्तन करवाकर उप खण्ड अधिकारी के समक्ष पेश तमाम दस्तावेज की सत्यप्रतियां दी जावे
6. प्रतिवादी द्वारा 90 दिन में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर दस्तावेज पेश नहीं करने पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व वाद रेस्टोर करने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की सत्यप्रति दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक सूअअ/2024/44 दिनांक 29.08.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषय [illegible] के संबध में निवेदन है कि परिवादी द्वारा धारा 18(1) सूचना का [illegible] धिनियम 2005 के अन्तर्गत श्रीमानजी के न्यायालय में परिवाद [illegible] किया है। परिवाद के संबंध में प्रतिउत्तर निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक	परिवाद	प्रतिउत्तर
1	तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य हित में धारा 177 आरएटीए के तहत दायर प्रकरण संख्या 76/2023 सरकार बनाम सुरेश कुमार गुप्ता आदि (निर्णय दिनांक 01 मार्च 2024) मे वाद दर्ज रजिस्टर करने के बाद और 01 मार्च 2024 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय करने से पहले धारा 177(3) आरटीए के आज्ञापक प्रावधानुसार प्रतिवादी सुरेश कुमार गुप्ता को हाजिर होने के लिए तहसीलदार को तामील कराने बाबत जारी किए नोटिस एवं तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी सुरेश कुमार गुप्ता को नोटिस तामील कराने की रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी को वापिस लौटाए गए नोटिस की सत्यप्रतियां दी जावे।	बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना में प्रतिवादी सुरेश कुमार को जारी किए गये नोटिस बाद या अदम तामील प्राप्त नहीं होने पर सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
2	प्रतिवादी सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 01 मार्च 2024 को पत्रावली अजा पेश में लेने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की सत्यप्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना .... पेशी में लिये जाने बाबत जवाब/प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति आपको भिजवाई जा रही है।
3	राजपैरोकार द्वारा सरकार बनाम सुरेश कुमार गुप्ता में पेश रिपोर्ट की सत्यप्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना में अप्रार्थी द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/2023 में पैरोकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति आपको भिजवाई जा रही है।
4	प्रकरण संख्या 76/2023 सरकार बनाम सुरेश कुमार गुप्ता में दिनांक 05 मार्च 2024 को पारित निर्णय में नियत अवधि 90 दिवस/31 मई 2024 की अवधि में प्रतिवादी सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा विवादित आराजी का अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन करवा कर दस्तावेज पेश नहीं करने पर तहसीलदार द्वारा राज्य हित में प्रकरण रिस्टोर करने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की सत्यप्रति दी जावे	बिन्दु संख्या 4 में चाही गई सूचना में प्रतिवादी सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा वादग्रस्त आराजी का अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर दस्तावेज पेश नही करने एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण पुनः रिस्टोर करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5	तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 76/2023 अनवान सरकार बनाम सुरेश कुमार रेस्टोर कराने बाबत पेश प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवादित कृषि भूमि राजसात करने बाबत पारित विधि सम्मत आदेश की सत्यप्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 05 में चाही गई सूचना में राजस्व वाद संख्या 76/2023 अनवान सरकार बनाम सुरेश कुमार में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत किसी प्रकार के आदेश नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 29.01.2025 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके बिन्दु संख्या 03 व 04 में अंकित किया है कि मिकर ने राज्य हित में राजस्व वाद संख्या 76/2003 का दिनांक 01.03.2023 को **निर्णय से पूर्व प्रतिवादी सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा पत्रावली में पेशी में लेने बाबत पेश दरख्वास्त और राजपैरोकार द्वारा पेश** रिपोर्ट **और 26.12.2023 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 19** मार्च **2024 के हाजिर होने के लिए पारित आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी** द्वारा **जारी किए सम्मन की सत्यप्रतियां** आज दिनांक 29 जनवरी 2025 तक जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई।

मुख्य सूचना आयुक्त, **राजस्थान सूचना आयोग** जयपुर ने अपील संख्या 2094/2009 अनवान श्रीमती सन्तोष गर्ग बनाम अतिरिक्त निबन्धक में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2010 के पैरा संख्या 08 में निम्न प्रकार उल्लेख किया है :

> 8. अपीलार्थिया के ने प्रदत्त छाया प्रतियों की प्राप्ति पर असन्तोष व्यक्त किया — प्रथमतः इसलिए कि प्रदत्त सूचना अस्त व्यस्त रूप में बिना क्रमांक आदि के था और पत्रावली के कतिपय पत्रों आदि में किसने और क्यों भेजा स्पष्ट नहीं हैं अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी वही सूचना उपलब्ध करा सकता है जो जिसे उसके अभिलेखों में उपलब्ध है। वह उन पर अपनी टिप्पणी या राय व्यक्त नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है। इस संदर्भ में अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (j) का उल्लेख समीचीन है जिसमें लिखा है कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:—

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि देना,

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना,

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना,

इसलिए यदि पत्रावली पर क्रमांक नही है, और कतिपय पत्रों पर कोई अन्यथा उललेख नहीं है तो **अपीलार्थिया को जो पत्रादि दिये गये उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता।**

माननीय राजस्थान सूचना आयोग के उक्त निर्णय एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) एवं के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी** की पहुंच हो अर्थात **दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध** हो **और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी** भी **कार्य** को **किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही** दिये **जा** सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्रांक 44 दिनांक 29.08.2024 से पांच **बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाई है जबकि अपीलार्थी** द्वारा अपने प्रार्थना **पत्र दिनांक 30.06.2024 में छः बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी।** सूचना का अधिकार **अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक** सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी,** श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहे तो उन्हें कार्यालय रिकॉर्ड का निरीक्षण करवा देवें तथा उपलब्ध रिकार्ड में से अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 6 की सूचना उन्हें पुनः उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की मूल पत्रावली संख्या 76/2023 का भी अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आरटीए का प्रकरण पेश किया गया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा कोई विधिक राय प्राप्त की गई हो, ऐसा कोई [illegible] पत्रावली में [illegible] नही है। इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली संख्या**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

76/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2024 पर विधिक राय प्राप्त कर, विधि अनुसार आगामी कार्यवाही करें। साथ ही तहसीलदार, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में आराजी का संपरिवर्तन नहीं होने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.03.2024 की पालना में प्रकरण को रि–स्टोर करने की कार्यवाही नही की हो तो, शीघ्र कार्यवाही करें। उक्त समस्त कार्यवाही को सूचना का अधिकारी अधिनियम की उक्त अपील से अलग रखा जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested